संचिका संख्या-15/एम1-52/2014 ....

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

कुल सचिव
राज्य के सभी विश्वविद्यालय

पटना, दिनांक 2014

विषय: **राज्य के विश्वविद्यालयों के नियंत्रणाधीन अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं नियमित रूप से कार्यरत प्रधान लिपिक एवं लेखापाल/ प्रधान लिपिक (लेखा) को क्रमशः प्रशाखा पदाधिकारी (महाविद्यालय सेवा) तथा प्रशाखा पदाधिकारी लेखा (महाविद्यालय सेवा) के रूप में पदनामित करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-516/2013 में दिनांक 18.01.2013 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के विश्वविद्यालयों के नियंत्रणाधीन अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत् रूप से नियुक्त होकर नियमित रूप से कार्यरत प्रधान लिपिक एवं लेखापाल/ प्रधान लिपिक (लेखा) को दिनांक 01.04.2007 के प्रभाव से विभागीय पत्रांक-2693 दिनांक 27.10.2010 द्वारा स्वीकृत वेतन संरचना के अधीन क्रमशः प्रशाखा पदाधिकारी (महाविद्यालय सेवा) एवं प्रशाखा पदाधिकारी लेखा (महाविद्यालय सेवा) के नाम से इस शर्त्त के साथ पदनामित किये जाने का निर्णय लिया गया है, कि उन्हें इस नामकरण के आधार पर सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी के सदृश्य वेतन संरचना अनुमान्य नहीं होगा तथा तत्संबंधी कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा ।

2. उपर्युक्त निर्णय में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 15/एम1-52/2014.............. पटना, दिनांक 2014

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रध सचिव/ विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, पटना/ संयुक्त सचिव एवं अ व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रो पटना/उपसचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सम्पर्क पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक, शि विभाग/ प्रशाखा पदाधिकारी 5, 14, एवं 15 तथा सभी सहायक तथा लेखापाल, शिक्षा विकास (उच्च शिक्ष विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 15/एम1-52/2014-1213 पटना, दिनांक 27/6/2014

प्रतिलिपि:- वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव तथा वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी विश्वविद्यालय तथा अध्यक्ष ए महासचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हे प्रेषित।

27/6/14

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव